

प्रेस विज्ञप्तिथाना-निजामाबादकिशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 07.05.2024 की रात्रि में अभियुक्त मनीष पटेल उर्फ मनीष सिंह पुत्र हरिलाल सिंह निवासी बढया थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता जब नाबालिक थी, इससे पहले कई बार दुष्कर्म कर चुका है। किसी से बताने पर जाने से मारने की धमकी दी गयी, सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 09.05.2024 को मु0अ0स0 208/24 धारा 452/376/506 भा0द0वि0 बनाम मनीष पटेल पुत्र हरीलाल पटेल निवासी बढया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु व0उ0नि0 सविन्द्र राय को प्राप्त हुआ। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 12.05.2024 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय हमराह एस0आई0 शुभम त्रिपाठी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष पटेल उर्फ मनीष सिंह पुत्र हरिलाल सिंह निवासी बढया थाना निजामाबाद आजमगढ़ को गंधुवई मोड के पास से समय करीब 06.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 208/24 धारा 452/376/506 भा0द0वि0 एवं 5( ठ )/6 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- मनीष पटेल उर्फ मनीष सिंह पुत्र हरिलाल सिंह निवासी बढया थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

थाना सिधारी40 लीटर अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 12.5.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान समय 09.10 बजे गिरधरपुर मोड़ पुलिया के पास से अभियुक्त सुनील पुत्र रामश्रे राम सा0 हुसैनगंज थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को 40 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0167/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुनील पुत्र रामश्रे राम सा0 हुसैनगंज थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 0167/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 40 लीटर अवैध शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रमोद कुमार, का. सत्यप्रकाश यादव थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना फूलपुरगांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 11-05-2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह चेकिंग के दौरान अभियुक्त कमालुद्दीन पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम ससना थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को भेडिया पुल पर से एक किलो एक सौ पचास ग्राम अवैध गांजा के साथ समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 234/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 234/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 234/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 150/20 धारा 406/411 भादवि थाना खेतासराय जौनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त- कमालुद्दीन पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम ससना थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी- एक किलो एक सौ पचास ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रज्जन द्विवेदी, का0 अरविन्द यादव थाना फूलपुर आजमगढ़।

## थाना- फूलपुर

### बुजुर्ग की हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त सब्बल (रम्मा) बरामद

**पूर्व की घटना**– दिनांक 07-05-2024 को वादी मुकदमा सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 दलसिंगार यादव निवासी ग्राम खुटौली (लोधी का पुरा) थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा का भाई राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 दलसिंगार यादव उम्र करीब 68 वर्ष जो अविवाहित है दिनांक 06/07.05.2024 की रात्रि में घर में सोये थे सुबह उठकर जब देखा तो मेरे भाई राजेन्द्र की खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ी है, शक है कि जमीन के लालच में वादी मुकदमा के पुत्र अखिलेश यादव, कमलेश यादव व योगेश यादव ने मिलकर मेरे भाई राजेन्द्र यादव की हत्या कर दिये के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 227/24 धारा 302 भादवि बनाम बइस्तवाह-1. अखिलेश यादव, 2.कमलेश यादव 3. योगेश यादव पुत्रगण सुरेन्द्र यादव निवासीगण ग्राम खुटौली(लोधी का पुरा) थाना फूलपुर आजमगढ़ पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्र0नि0 शशीचन्द चौधरी थाना फूलपुर के द्वारा कि जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण**– दिनांक- 11.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शशीचन्द्र चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी खुटौली (लोधी का पूरा) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को बुढ़उ बाबा की मन्दिर लाहीडीह से समय 22-30 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व अभियुक्त के निशान देही पर आलाकत्ल सब्बल (रम्मा) बरामद किया गया व अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त**- कमलेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी खुटौली (लोधी का पूरा) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**- आलाकत्ल सब्बल (रम्मा) बरामद।

**पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0 227/2024 धारा 302 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास**- मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**– प्र0नि0 शशि चन्द चौधरी उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

## प्रेस विज्ञप्ति

### जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 237 वाहनों का चालान।

दिनांक- 12.05.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 72 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1366 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 237 वाहनों का चालान किया गया।